


कारणसं - 19/16  
वादी - मनमोहन

वनाग्र

प्रतिवादी - गोकुल राम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>23/2/23</p> <p>पत्रावली पैश हुई आजक पक्ष उपस्थित P.O. सा अन्य पक्ष में पारस, बाहर पक्ष/अभियोग में पक्ष अवकाश स म अउ पत्रावली आरम्भ दिनांक 11/5/23 का पक्ष</p> <p>11.05.2023 पत्रावली पैश हुई। वादी पक्ष अनुपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी व उनके नियुक्त अधिवक्ता को कितनी ही मर्तबा आवाजें लगाये जाने के उपरान्त भी वादी स्वयं अथवा उनकी और से कोई वैद्य प्रतिनिधि वादपत्र में अपना पक्ष रखने/पैरवी करने हाजिर नहीं आये। अतः वादी का वादपत्र, वादी पक्ष की अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

  
उपखण्ड अधिकारी  
फूलिया कलाँ, जिला-भीलवाड़ा